

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9/उपांकीट०अनु०—06/2015
प्रेषक,

/कृ०, पटना, दिनांक

सितम्बर, 2015.

बी० कार्तिकेय भा० प्र०स०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री मुक्तेश्वर सिंह,
मेसर्स विमैक्स क्रॉप साइन्स लि०,
द्वारा—कृष्णा सीडूस,
H/O—श्री अशोक कुमार मेहता (झुमरा कोठी के निकट),
पुष्प बिहार, लेन, एक्जिविशन रोड, पटना—800001

विषय :— कीटनाशी बिक्री/भंडारण हेतु नया अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा सहायक निदेशक, पौ० सं०, सर्वलेन्स (मुख्यालय), पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के द्वारा स्वनिर्मित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञाप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता तिथि 31.12.2015 तक के लिए कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति प्रदान किया जाता है।

क्र०स०	कीटनाशी का नाम	क्र०स०	कीटनाशी का नाम
1	2,4-D Amine Salt 58% S.L	32	Fenoxaprop-P-Ethyl 10% EC
2	2, 4-D Ethyl Ester 38% EC (Having 2, 4-D, DAcid 34% w/w)	33	Fipronil 0.3% GR
3	2, 4-D Sodium Salt 80% WP	34	Fipronil 5% SC
4	Acephate 75% SP	35	Glyphosate 41% SL
5	Alphacypermethrin 10% SC	36	Gibberellic Acid 0.001 % L
6	Alphacypermethrin 5% WP	37	Gibberellic Acid 0.186 % S.P
7	Anilofos 30% EC	38	Hexaconazole 5% EC
8	Atrazine 50% WP	39	Isoproturon 75% WP
9	Acetamiprid 20% SP	40	Imidacloprid 17.8% SL
10	Butachlor 50% EC	41	Imidacloprid 30.5% SC
11	Bifenthrin 10% EC w/w	42	Imidacloprid 70% WG
12	Buprofezin 25% SC	43	Indoxacarb 14.5%+Acetamiprid 7.7% W/W SC
13	Carbendazim 46.27% SC	44	Lambda-Cyhalothrin 10% WP
14	Carbendazim 50% WP	45	Lambda-Cyhalothrin 5% EC
15	Cartap Hydrochloride 50% SP	46	Malathion 25% WP
16	Chlorpyriphos 1.5% DP	47	Malathion 5% DP
17	Chlorpyriphos 10% GR	48	Methyl Parathion 2% DP
18	Chlorpyriphos 20% EC	49	Monocrotophos 36% SL
19	Copper Oxychloride 50% WP	50	Metribuzin 70% WP
20	Cypermethrin 10% EC	51	Metalaxyl 8%+Mancozeb 64% WP
21	Carbendazime 12% w/w+Mancozeb 63% w/w	52	Metsulfuron Methyl 20% WP
22	Clodinafop Propargyl 15% WP	53	Neem Kernel Based EC Containing Azadirachtin 0.3% w/w (3000 PPM)
23	Dichlorvos 76% EC	54	Oxyflourfen 23.5% EC (W/W)
24	Dicofol 18.5% EC	55	Paraquat Dichloride 24% SL
25	Dimethoate 30% EC	56	Pendimethalin 30% EC
26	Deltamethrin 1%+Triazophos 35% EC	57	Pendimethalin 5% Granules
27	Diaphenothiuron 50% WP	58	Phorate 10% CG
28	Ethion 50% EC	59	Profenofos 40%+Cypermethrin 4% EC
29	Emamectin Benzoate 5% SG	60	Pretilachlor 50% EC
30	Fenvalerate 0.4% DP	61	Propiconazole 25% FC
31	Fenvalerate 20% EC	62	Profenophos 50% EC

63	Quinalphos 25% EC	68	Thiophanate Methyl 70% WP
64	Sulphur 80% WP	69	Triazophos 40% EC
65	Sulphur 80% WDG	70	Triacontanol EW 0.1% Min
66	Sulphur 85% DP	71	Tricyclazole 75% WP
67	Sulfosulfuron 75% WG	72	Thiamethoxam 25% WG

2—उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :— मेसर्स विमैक्स क्रॉप साइन्स लिंग, द्वारा—श्री आलोक कुमार बोहरा, H/O—श्रीमति क्रांति दवी, W/O—श्री विश्वनाथ प्रसाद, मो ० पहाड़ी, पोस्ट—अगमकुआँ, थाना—छोटी पहाड़ी, पटना।

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञाप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बूँद कर देना होगा।

6—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7—नियम 10 बी० के तहत् सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चारी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्री प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9—कीटनाशी अनुज्ञाप्ति सं० १४६...दिनांक...५१.५१.१५ मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पंजी की सूचना दी जाय।

१४७

तिप्पानामांडा,

ह०/-

(बी० कार्तिकेय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

५५९९

/कृ०, पटना, दिनांक ०९ सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शब्द) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ (2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

१४६५
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।